सरसों और चना की एम.एस.पी. पर खरीद प्रक्रिया शुरू : भजनलाल शर्मा

- श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी
- 'कांग्रेस ने किया किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनके जीवन में समृद्धि आए। हमारा लक्ष्य है कि फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और उसका समय पर भुगतान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। हमारी सरकार किसानों की भलाई और खेती की मजबूती के लिए निरन्तर काम कर रही है। शर्मा अपनी हनुमानगढ़ एवं गंगानगर की दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संवाद कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगानगर की भूमि किसानों की भूमि है। यहां के किन्नू का स्वाद पूरी दुनिया को भाता है। उन्होंने कहा कि नहर एवं सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कल हरिके से लेकर लोहागढ़ एवं लखुवाली हेड तक निरीक्षण किया तथा आज वे शिवपुर हेड का निरीक्षण करेंगे।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पिछली सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 5 लाख 53 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की। जबकि हमारी सरकार बनने के बाद 4 लाख 85 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की जा चुकी है। ऐसे ही, पिछली सरकार में मूंगफली का समर्थन मूल्य 5 हजार 850 रुपये था जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 6 हजार 783 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में वर्ष 2022-23 में सरसों का एममसपी 5 हजार 50 रुपये था, जिसे भी हमारी सरकार ने बढ़ाकर अब 5 हजार 950 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हमारी किसान हितैषी सरकार द्वारा चना भी 5 हजार 650 रूपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीदा जाएगा। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने प्रदेश में पानी की समस्या को हल करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमने पहले ही महीने में लंबे समय से अटकी ईआरसीपी को लेकर महत्वरपूर्ण समझौता किया। इस परियोजना का काम अब धरातल पर तेजी से हो रहा है। इसी तरह हमने शेखावाटी को यमुना जल समझौते की सौगात दी है। माही बेसिन में जल प्रबंधन, देवास प्रोजेक्ट, नर्मदा का पानी के लाभ अन्य जिलों को मिलने, राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्थापना, आईजीएनपी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जैसे विभिन्न निर्णयों से राज्य में सिंचाई एवं पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर और उससे जुड़े क्षेत्रों में जल संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। फिरोजपुर फीडर के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की लागत के कार्य, कंवरसेन लिफ्ट नहर क्षेत्र में क्षितग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार का कार्य, भाखड़ा और गंगनहर परियोजना के अंतर्गत शेष रहे खालों का निर्माण, 200 करोड़ रुपये की लागत से रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला और श्रीविजयनगर के 44 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण जैसे कार्यों से स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय की मांग को पूरा करते हुए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समृद्ध एवं खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के निरन्तर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं के एमएसपी में वृद्धि, किसान सम्मान निधि में बढ़ोत्तरी, 47 लाख किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित जैसे निर्णयों से किसानो को राहत मिल रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से झूठे वादे किए और युवाओं के साथ भी विश्वासघात किया। हमारी सरकार किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने से लेकर पेपरलीक प्रकरणों में दोषियों को सजा दिलाने का कार्य करते हुए संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले दो वर्षों में राजस्थान में विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। हम युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियां देंगे। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में देय राशि में वृद्धि, 14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण, मा वाउचर योजना, लाडो प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शुरू की गई है।

इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक गुरवीर सिंह बराड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद, जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद टाक सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में की जनसुनवाई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में जनसुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को उनके उचित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना तथा कई परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई में आए किसानों ने राज्य सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण संबंधी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

बेटे ने गले में कैंची घोंपकर पिता को मौत के घाट उतारा

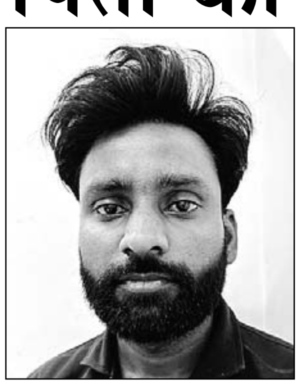

आरोपी प्रदीप प्रजापत

आरोपी के घर जांच करती एफ.एस.एल.टीम।

- भाई से पिता की हत्या की बात बोलकर फरार हुआ आरोपी

जयपुर। मुरलीपुरा इलाके में एक बेटे ने पिता के गले में कैंची घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पिता को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। इस बीच उसने अपने भाई को फोन पर हत्या की जानकारी भी दी थी।

थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि विजयबाड़ी के रहने वाले रमेश प्रजापत की हत्या हुई थी। हत्या के आरोप में उसके छोटे बेटे आशीष प्रजापत को 8 अप्रेल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्रदीप प्रजापत (26) ने अपने भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि 7 अप्रेल की रात करीब साढ़े 8 बजे उसके भाई आशीष को फोन आया था। उसने बताया कि मैंने पिता को मार दिया है। घर पहुंचा तो पिता लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़े थे। दोस्त के साथ पिता को खेतान हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टरों ने एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मृतक रमेश प्रजापत टेलर थे और शराब पीने के आदि थे। वह अपने आरोपी बेटे आशीष और बेटी ज्योति के साथ रहते थे। आशीष हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है और बहन पढ़ाई कर रही है। शराब को लेकर पिता और बेटे के बीच आए दिन विवाद होता था।

घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में आशीष ने कैंची को पिता के गले में घुसा दिया। पिता के खून निकलने पर आशीष डर गया और घर से बाहर निकल कर अपने भाई प्रदीप को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद भाग गया।

एस.ओ.जी.ने किया निलंबित सैकंड ग्रेड टीचर को गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने निलंबित सेकंड ग्रेड टीचर और दस हजार रुपये का इनामी उम्मेद सिंह को गिरफ्तार किया हैं। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में पेपर लीक के सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हो गया था। जिस के बाद एसओजी की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी को निलंबित कर दिया था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई पेपर लीक मामले में लिप्त रहा। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। जिस पर शिक्षा विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था। इसके बाद एसओजी को जानकारी मिली की आरोपी टीचर उम्मेद सिंह हाजिरी करने के लिए डीईओ कार्यालय जा रहा है। जिस पर एसओजी की टीम ने उसे डिटेन किया और उसे लेकर जयपुर आ रही हैं।

आरोपी उम्मेद सिंह

आरोपी उम्मेद सिंह निवासी राखणा तहसील रोहट ज़िला पाली के खिलाफ कई पेपर लीक में शामिल होने के आरोप हैं। आरोपी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा , प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता परीक्षा ,शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा और रीट लेवल द्वितीय में पैसे लेकर दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर डमी के रूप में बैठ कर परीक्षा दी।

युवकों को हनी ट्रैप में फंसाने वाली तीन महिलाएं गिरफ्तार

- गैंग में शामिल फर्जी महिला मीडियाकर्मी भी गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती गांठकर युवकों को लूटने वाली तीन शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार तीनों महिलाएं युवकों को दोस्ती के जाल में फंसा कर उनसे पैसा लूटा करती थी। गिरफ्तार महिलाओं के पास से फर्जी मीडिया के कार्ड भी पुलिस को मिले हैं, तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया हैं।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर पैसे लूटने वाली गैंग का खुलासा किया हैं। इस गैंग की महिलाएं ऑनलाइन या ऐप के जरिये लोगों से दोस्ती करती फिर उन्हें मिलने के लिए अपने स्थान पर बुलाती जिस के बाद उन के साथ लूटपाट करती वह पुलिस पर जाने पर गलत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देती थी। गैंग के बारे में जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी ईस्ट आशाराम चौधरी के निर्देशन में टीम बनाई गई। जिस में प्रताप नगर सीआई मनोज कुमार बेरवाल ने कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार किया।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 6 अप्रेल को उस के मोबाइल पर वॉट्सअप कॉल आई, जिसमें महिला ने मिलने के लिए कहा। जिस पर पीड़ित ने उसे घर की लोकेशन भेज दी। जिस के बाद महिला उसके घर पहुंची और उसके साथ बाते करने लगी, पीड़ित को महिला जबरन सम्बंध बनाने का दबाव बनाने लगी, पीड़ित ने जब इनकार किया तो महिला ने दबाव बनाते हुए कहा कि अगर सम्बंध नहीं बनाए तो वह पुलिस थाने चली जाएगी। पीड़ित घबरा गया तो आरोपी महिला ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। जिसके डर से पीड़ित ने उसे 20 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद से महिला उससे पैसा मांग रही हैं।

पीड़ित की शिकायत पर तत्काल पुलिस टीम गठित की गई, पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला के पास मीडिया का पहचान पत्र भी मिला। तीनों महिलाओं को आज कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस इस मामले में निशा (22) पत्नि सुमित निवासी ग्राम बिसलपुर बरेली उत्तप्रदेश हाल निवासी उस्मानपुर दिल्ली, सुमन चौधरी (45) पत्नी विजेन्द्र सिंह निवासी भजनपुरा दिल्ली और सारिका (41) पत्नी विकाश कुमार निवासी चाकसू जयपुर हाल निवासी 83 कष्णा विहार कॉलोनी जगतपुरा को पकड़ा है।

पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलेगी कोचिंग फीस में छूट

जयपुर। पुलिस कर्मियों के बच्चों को नीट, जेईई एवं ओलंपियाड परीक्षाओं की कोचिंग में आकाश कोचिंग संस्थान फीस में 30 फीसदी की छूट देगा।

पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाने में ये पहल काफी सहायक सिद्ध होगी। इससे न केवल पुलिस कर्मियों के बच्चों को नीट, जेईई, ओलंपियाड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद मिलेगी बल्कि पुलिसकर्मी भी अपनी परिवारिक जिम्मेदारी अच्छे से वहन कर सकेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा।

अवैध घोषित 19 भवनों के मालिकों की व्यक्तिगत सुनवाई करें कमेटी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी को कहा है कि वे परकोटे के आवासीय इलाके में अवैध घोषित 19 भवनों के मालिकों की व्यक्तिगत सुनवाई कर दो माह में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा कि हर बिल्डिंग के प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए बुलाया जाए और वह पूरी बिल्डिंग के स्वामियों की तरफ से कमेटी के समक्ष पक्ष रखे। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 20 मई को तय की है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान प्रभावितों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र ने कहा कि प्रभावितों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं मिला है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि कमेटी प्रभावितों की व्यक्तिगत सुनवाई कर लेगी।

दिनभर की भारी गर्मी के बाद जयपुर में तेज आंधी आई। जनपथ विधानसभा पर छाया धूल का गुब्बार व तेज हवा के साथ लू चलीं।

भारतीय संस्कृति की प्रतीक अहिल्याबाई के कार्य और आदर्श आज भी स्मरणीय : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रशताब्दी समारोह के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित नाट्यय मंचन पर कहा कि राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा का श्रेष्ठ मंच संयोजन किया है। उन्होंने अहिल्याबाई होल्कर को नमन किया और कहा अहिल्याबाई होल्कर उन महान महिला रत्नों में से एक है जिनका नाम भारत के घर-घर में जाना जाता है। वे सर्व कल्याणकारी भारतीय संस्कृति की साक्षात प्रतिमूर्ति रही। भारतीय नारी का ज्वलंत उदाहरण अहिल्या बाई जीवन में संघर्षों से अनेक बार जुझी लेकिन कभी हार नहीं मानी।

देवनानी ने कहा कि भारतीय इतिहास में अहिल्याबाई वीरता धीरता के साथ विनमता और शक्ति वैभव की पहचान है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाया। महेश्वर में घाटों का निर्माण आज भी उनके शासन की समृद्धि और समझदारी को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई का संघर्ष और सफलताओं से भरा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। भारतीय संस्कृति की प्रतीक अहिल्याबाई के कार्य और आदर्श समाज के लिए स्मरणीय है। उनकी गौरवशाली गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। लोक माता के रूप में पहचानी जाने वाली अहिल्याबाई ने भारत की समूची मानवता के स्थाई हित को ध्यान में रखकर अनेक ऐतिहासिक और स्मरणीय कार्य किए।

महावीर जयन्ती पर शुभकामनाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती (10 अप्रेल) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि भगवान महावीर ने हमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया और त्याग का पाठ पढ़ाया। भगवान महावीर का तपस्वी जीवन एवं उनकी शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती हैं।

जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (शिक्षक प्रकोष्ठ) ने शिक्षा क्षेत्र में गलत कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहरलाल शर्मा और प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में रामचंद्र बागोरिया, अशोक शर्मा उपाध्यक्ष, बहादुर सिंह फौजदार महामंत्री, प्रकाशचंद शर्मा सलाहकार, सत्यप्रकाश जैमन सचिव, सुभाष पाण्डेय संयुक्त सचिव व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

विभाग व राष्ट्र की सेवा में निरंतर सर्वोत्तम योगदान देते रहे : अग्रवाल

- राज्य विशेष शाखा के 391 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को मिला डीजीपी डिस्क, पदक व सेवा चिन्ह

जयपुर। राज्य विशेष शाखा के पुलिसकर्मियों के लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया था। जिसमें डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल द्वारा 391 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्टता व उत्कृष्टता पदक एवं सर्वोत्तम, अति उत्तम व उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीजी अग्रवाल ने सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को उनकी सेवाओं और उपलब्धियों के लिए बधाई देकर कर्तव्यनिष्ठा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान एवं इनके द्वारा किए गए विशिष्ट सराहनीय कार्य, समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने आव्हान किया कि सभी पुलिसकर्मी विभाग व राष्ट्र की सेवा में निरंतर सर्वोत्तम योगदान देते रहे।

राज्य विशेष शाखा के पुलिसकर्मियों के लिए बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सात अधिकारियों को डीजीपी डिस्क, 40 अधिकारियों को अति उत्कृष्टता व 60 को उत्कृष्टता पदक, 138 को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 70 को अति उत्तम सेवा चिन्ह व 76 को उत्तम सेवा चिह्न प्रदान किए गए।

प्रारम्भ में मुख्य अतिथि अग्रवाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया व निदेशक इंटेलिजेंस ट्रेनिग एकेडमी दीपक भार्गव ने उन्हें प्लांट भेंट कर ग्रीन वेलकम किया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने किया।

अन्त में उपमहानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस राजीव पचार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आईजी सुरक्षा विष्णुकान्त, डीआईजी अजय सिंह, विकास शर्मा एवं एसपी रतन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

भरण पोषण के आदेश की प्रकृति को लेकर फैसला सुरक्षित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए जाने वाले भरण पोषण के आदेश की प्रकृति को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस सुदेश बंसल की वृहद पीठ ने यह आदेश इस संबंध में उठाए गए विधिक बिंदु पर सुनवाई करते हुए दिए।

वृहद पीठ के समक्ष यह विधिक बिंदु रेफर किया गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दिए जाने वाले भरण पोषण के आदेश की प्रकृति अंतरिम आदेश की होती है या अंतिम आदेश की।

लंबित मुकदमों के अनुपात में जज कम, सुनवाई हो रही प्रभावित : सी.जे.

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने एक बार फिर हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या और न्यायाधीशों की कमी को लेकर चिंता प्रकट की है। सीजे श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से नव नियुक्त न्यायाधीशों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित वकीलों को संबोधित कर रहे थे।

सीजे ने कहा कि हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या किसी से छिपी नहीं है। जबकि इन लंबित मुकदमों के अनुपात में जजों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इससे हर न्यायाधीश पर मुकदमों का भार है। जिसके चलते मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं जिन मामलों में जल्दी सुनवाई की जानी है, वह भी नहीं हो पा रही है। हालांकि हाल ही में जल्दी-जल्दी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। न्यायाधीशों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी से न केवल संस्था को लाभ मिलेगा, बल्कि पक्षकारों को भी राहत मिलेगी। आखिरकार हम सब सिस्टम का हिस्सा है, असली राहत को पक्षकार को ही मिलती है। कार्यक्रम में नव नियुक्त जज प्रमिल कुमार माथुर, जस्टिस मनीष शर्मा, जस्टिस आनंद शर्मा और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित को माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 50 है। वर्तमान में 38 न्यायाधीश पदासीन है। हालांकि आज तक कभी भी स्वीकृत सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। वहीं यदि हाईकोर्ट में 6.74 लाख से अधिक मुकदमे लंबित चल रहे हैं। ऐसे में प्रति न्यायाधीश पर 17,755 मुकदमों का भार है।

एमपी-एमएलए से जुड़े आपराधिक केसों के लोक अभियोजकों को हिदायत

जयपुर। प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर राज्य सरकार की ओर से संबंधित लोक अभियोजकों को बेवजह तारीख नहीं लेने की हिदायत दी गई है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस पर अदालत ने इस संबंध में जारी आदेश की कॉपी पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 12 मई तक टाल दी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सभी लोक अभियोजकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लोक अभियोजकों को मामले में संबंधित अदालतों को पूर्ण सहयोग करने और बेवजह सुनवाई टालने का आग्रह नहीं करने की हिदायत दी गई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से लंबित मामलों की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की जानकारी दी गई, हालांकि रिपोर्ट राज्य सरकार को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को संबंधित आदेश पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में एमपी-एमएलए से जुड़े आपराधिक केसों के मामले में दिशा-निर्देश जारी कर हाईकोर्ट को इन केसों की निगरानी के लिए कहा था।